संख्या–1150/38–4–10–07बजट/2010

प्रेषक,

रूद्र प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0प्र0,लखनऊ

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक– 30 जून,2011

विषयः–इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष–2011–12 के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–705/सम्प्रेक्षा/इं0आ0यो/2011–12,दिनांक– 07 जून,2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **इन्दिरा आवास** योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष–2011–2012 के लिए अनुदान संख्या–13 में बजट प्राविधानित धनराशि रू0–100.00 करोड में से शासनादेश संख्या–677/38–4–11–07 बजट/2010, दिनांक– 07 अप्रैल, 2011 द्वारा रू0–25.00/–लाख(रूपये पचीस करोड़ा मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0–75.00 करोड में से द्वितीय त्रैमास हेतु रू0–2340.50 लाख (रूपये रूपये तेइस करोड़ चालीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैंः–

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण पूर्व स्वीकृत धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होनें के उपरान्त किया जायेगा तथ भारत सरकार से केन्द्राश प्राप्ति के पश्चात आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

4– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

5– समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक आदि में नहीं रखा जायेगा।

6– इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

2/–

7– तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखा शीर्षक–2505–ग्राम रोजगार–01–राष्ट्रीय कार्यक्रम–702–जवाहर ग्राम समृद्वि योजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–05–इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना) (के0–75/रा–25–रा0)–27–सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश का आहरण कर सके।

9– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2 के अशासकीय पंत्र संख्या–ई–2–438/दस–2011 दिनांक– 27 जून, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(रूद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–1150(1)/38–4–10 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संवंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. संवंधित जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. संवंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2
10. राज्य योजना आयोग अनुभाग–2/नियोजन अनुभाग–4
11. ग्राम्य विकास अनुभाग–3/7
12. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(रूद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।